-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

➢ **थाना नरैनी पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को अवैध तमंचे व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 16.07.2026 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को अवैध तमंचे व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है गौरतलब हो कि दिनांक 15/16.07.2026 की रात्रि को थाना नरैनी पुलिस वारंटी व पेन्डिग प्रार्थना की जांच हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति महारानी पुलिया थाना नरैनी के पास अवैध तमंचे के साथ घूम रहा है। सूचना पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संतोष उर्फ मुन्नू पुत्र धन्नू निवासी ग्राम नहरी थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 184/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
2. कां0 सुशील कुमार
3. कां0 शेखराजा
4. का0 प्रियांशु यादव